

Riyasat IAS Mentorship

Riyasat IAS
Mentorship

Secure Prelims Program 2026

English - हिंदी माध्यम

AN INITIATIVE UNDER **RIYASAT IAS MENTORSHIP**

*Shaping Potential
Into Performance*



Riyasat Ali Sir

IAS Mentor Since 2011

INTENSIVE & INTERATED

Prelims GS & CSAT PROGRAM

to Crack CSE 2026

भारतीय राजव्यवस्था डेमो नोट्स - हिंदी मीडियम

More Information: 8090528260, 9319612575, 9266989092

भारतीय संविधान

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

• “प्रमुख विशेषताएँ” भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं या विशिष्ट लक्षणों को दर्शाती हैं - ऐसे तत्व जो इसे अन्य देशों के संविधानों से **अलग और अद्वितीय** बनाते हैं। संविधान केवल कानूनी प्रावधानों का संग्रह मात्र नहीं है; यह भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की संरचनात्मक रूपरेखा प्रदान करता है।



- संविधान की अनेक मौलिक विशेषताओं (जैसा कि 1949 में अंगीकृत किया गया) में समय के साथ पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। **42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1976)** को **‘लघु संविधान (Mini Constitution)’** के नाम से जाना जाता है।
- **केशवानंद भारती मामला (1973):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति (अनुच्छेद 368 के तहत) संविधान की **‘मूल संरचना’** को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देती।

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ:

1. विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान:

• लिखित संविधान - अमेरिकी, अलिखित संविधान - ब्रिटिश।

• **मूल संविधान (1949):** एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ।

• **वर्तमान (2019):** एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ।

• हमारे संविधान के विशाल आकार में योगदान देने वाले कारक हैं:

- भौगोलिक कारक
- ऐतिहासिक कारक, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव (भारी-भरकम)।

मूल संविधान

भूमिका, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल हैं।

1

वर्तमान संविधान

भूमिका, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।

2

- केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान।
- संविधान सभा में **कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व**।

2. विभिन्न स्रोतों से लिया गया:

- **ब्रिटिश संविधान:** संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, कानून बनाने की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, स्पीकर का संस्थान, सिविल सेवकों का **डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेज़र (Doctrine of Pleasure)**।
- **अमेरिकी संविधान:** न्यायिक प्रणाली, मौलिक अधिकार।
- **कनाडाई संविधान:** संघीय प्रणाली, केंद्र-राज्य संबंध और संघ व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण।
- **आयरिश संविधान:** निदेशक सिद्धांत, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन।
- **ऑस्ट्रेलियाई संविधान:** समवर्ती सूची, देश के भीतर व्यापार और सेवा की स्वतंत्रता।
- **जर्मन (वाइमर) संविधान:** आपातकालीन प्रावधान।
- **सोवियत संविधान:** पंचवर्षीय योजनाएँ, मौलिक कर्तव्य।
- **दक्षिण अफ्रीकी संविधान:** संविधान संशोधन।
- **भारत सरकार अधिनियम, 1935:** संघीय योजना, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन शक्तियाँ, लोक सेवा आयोग।



3. कठोरता और लचीलापन का मिश्रण:




- **कठोर संविधान:** ऐसा संविधान जिसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, उदाहरण – अमेरिकी संविधान।
- **लचीला संविधान:** ऐसा संविधान जिसे साधारण कानूनों की तरह ही संशोधित किया जा

सके, उदाहरण – ब्रिटिश संविधान।

- भारतीय संविधान न तो कठोर है न लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है।

- अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है:



- कुछ प्रावधान: संसद में विशेष बहुमत, अर्थात् प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत और प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत।
- कुछ अन्य प्रावधान: संसद में विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे की पुष्टि (ratification) के साथ।

- संविधान के कुछ प्रावधान संसद द्वारा साधारण बहुमत से, साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत संशोधित किए जा सकते हैं। ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते।


4. एकात्मक झुकाव के साथ संघीय प्रणाली:

- संघीय विशेषताएँ: दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता।

- एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएँ: मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल

नागरिकता, संविधान की लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकालीन प्रावधान।

- संविधान में कहीं भी 'संघ (Federation)' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 1 – भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है, जिसका अर्थ दो बातें हैं:
 - भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है।
 - किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।



| | |
|---|---|
| <p>5. संसदीय शासन प्रणाली:</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● संसदीय प्रणाली: विधायी और कार्यपालिका अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित। इसे 'वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट', जिम्मेदार सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। ● राष्ट्रपति प्रणाली: दोनों अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित। ● भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएँ: <ul style="list-style-type: none"> ○ नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति। ○ बहुमत दल का शासन। ○ कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। ○ मंत्रियों की विधायिका में सदस्यता। ○ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। ○ निचले सदन (लोकसभा या विधानसभा) का विघटन। ● भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच मौलिक अंतर: <ul style="list-style-type: none"> ○ भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद की तरह सर्वोच्च निकाय (sovereign body) नहीं है। ○ भारतीय राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है (गणराज्य), जबकि ब्रिटिश राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है (राजशाही)। |
| <p>6. संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय:</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत – ब्रिटिश संसद से संबंधित। ● न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत – अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। ● भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकरा है, क्योंकि: <ul style="list-style-type: none"> ○ अमेरिकी संविधान – 'due process of law' का प्रावधान करता है। ○ भारतीय संविधान (अनुच्छेद 21) – 'procedure established by law' का प्रावधान करता है। |
| <p>7. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका:</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● सुप्रीम कोर्ट – एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर। ● हाई कोर्ट्स – राज्य स्तर पर। ● अधीनस्थ न्यायालय – जिला न्यायालय और अन्य निचली अदालतें। ● यह एकल न्यायिक प्रणाली केंद्र के कानूनों और राज्य के कानूनों दोनों को लागू करती है, जबकि अमेरिका में अलग प्रणाली है (संघीय कानून – संघीय |

न्यायपालिका, राज्य कानून – राज्य न्यायपालिका)।

- संविधान ने इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं –

- न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित।
- न्यायाधीशों की सेवा शर्तें निश्चित।


- सुप्रीम कोर्ट का पूरा व्यय

भारत की संघ की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से।

- विधायिकाओं में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर प्रतिबंध, सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर रोक।

- सुप्रीम कोर्ट को अवमानना (Contempt) के लिए दंड देने की शक्ति।

- न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, आदि।



भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका



8. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights – F.Rs):

- भारतीय संविधान का भाग III सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।




मौलिक अधिकार:

- राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा को प्रोत्साहित करते हैं।
- कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के मनमाने कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं।
- न्यायालयों में प्रवर्तनीय (justiciable) प्रकृति के होते हैं, अर्थात् इनके उल्लंघन पर इन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है।
- पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो उसके अधिकारों की बहाली के लिए हेबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहीबिशन, सर्टियोरेरी और क्वो वारंटो जैसी रिट जारी कर सकता है।
- मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और उन पर उचित प्रतिबंधों (reasonable restrictions) के अधीन हैं।
- ये पवित्र नहीं हैं और इन्हें संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से सीमित या निरस्त कर सकती है।
- राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के।







9. राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – Part IV):

- डॉ. बी.आर. आंबेडकर – डीपीएसपी को भारतीय संविधान की 'नई विशेषता (novel feature)' कहा।
- डीपीएसपी की 3 व्यापक श्रेणियाँ – समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक।



- सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को प्रोत्साहित करते हैं और भारत में 'कल्याणकारी राज्य (welfare state)' स्थापित करना चाहते हैं।
- मौलिक अधिकारों (F.Rs) के विपरीत, निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय (non-justiciable) प्रकृति के होते हैं, अर्थात् इनके उल्लंघन पर इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।

Riyasat IAS Mentorship

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> संविधान घोषित करता है कि 'इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा'। अतः ये राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व थोपते हैं। सुप्रीम कोर्ट, मिनर्वा मिल्स केस (1980): 'भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है।' | | |
| <p>10. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties):</p> | <ul style="list-style-type: none"> मूल संविधान: नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। आंतरिक आपातकाल (1975-77) के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा। संविधान का भाग IV-A (अनुच्छेद 51-A) ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। निदेशक सिद्धांतों की तरह, कर्तव्य भी अप्रवर्तनीय (non-justiciable) प्रकृति के होते हैं। <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>मौलिक कर्तव्य</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">  मूल संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">  आंतरिक आपातकाल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए। </td> </tr> </table> </div> |  मूल संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। |  आंतरिक आपातकाल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए। |
|  मूल संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। |  आंतरिक आपातकाल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए। | | |
| <p>11. धर्मनिरपेक्ष राज्य (A Secular State):</p> | <ul style="list-style-type: none"> भारतीय राज्य का आधिकारिक धर्म: भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्न प्रावधान भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करते हैं शब्द 'धर्मनिरपेक्ष (secular)' – प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना: भारत के सभी नागरिकों को आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अनुच्छेद 14: राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15: राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर। अनुच्छेद 25: सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26: प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक | | |

मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा।

- **अनुच्छेद 27:** किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 28:** राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
- **अनुच्छेद 29:** नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा।
- **अनुच्छेद 30:** सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार होगा।

- **अनुच्छेद 44:** राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता

धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव पर जोर देता है, जो धार्मिक प्रभाव को कम करता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता

सभी धर्मों को समान रूप से पहचानता है और समायोजित करता है, जो धार्मिक विविधता को बढ़ावा देता है।

- **पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा** धर्म (चर्च) और राज्य (राजनीति) के बीच पूर्ण पृथक्करण का संकेत देती है।
- भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की **सकारात्मक अवधारणा** को समाहित करता है, अर्थात् सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना।
- संविधान ने **साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व** की पुरानी प्रणाली को भी समाप्त कर दिया है, अर्थात् धर्म के आधार पर विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण।

12. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise):**


- भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है।

सार्वभौमिक मताधिकार:



| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, संपत्ति आदि किसी भी भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार है। ● मतदान की आयु को 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। |
| 13. एकल नागरिकता (Single Citizenship): | <ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ● अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक होता है, बल्कि जिस विशेष राज्य से वह संबंधित होता है, उसका भी नागरिक होता है। ● भारत में सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे हों या रहते हों, समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं। |
| 15. आपातकालीन प्रावधान | <ul style="list-style-type: none"> ● संविधान तीन प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की परिकल्पना करता है। ● आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राज्यों का पूरा नियंत्रण केंद्र के हाथों में चला जाता है। ● यह संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>आपातकालीन स्थितियाँ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d9ead3;"> <p>1 </p> <p>युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया गया।</p> <p>राष्ट्रीय आपातकाल</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f4cccc;"> <p>2 </p> <p>राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण घोषित किया गया।</p> <p>राज्य आपातकाल</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f4cccc;"> <p>3 </p> <p>देश की वित्तीय स्थिरता को खतरे में होने पर घोषित किया गया।</p> <p>वित्तीय आपातकाल</p> </div> </div> </div> |

Riyasat IAS Mentorship

| | |
|--|--|
| <p>16. त्रिस्तरीय सरकार (Three-tier Government):</p> | <ul style="list-style-type: none">• प्रारंभ में, भारतीय संविधान ने द्वैध शासन प्रणाली (dual polity) का प्रावधान किया था और केंद्र व राज्यों के संगठन और शक्तियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए थे।• बाद में, 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने सरकार की तीसरी परत (अर्थात् स्थानीय) जोड़ी, जो विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं पाई जाती।<ul style="list-style-type: none">○ 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: संविधान में भाग IX और अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय सरकारों) को संवैधानिक मान्यता दी।○ 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: संविधान में भाग IX-A जोड़कर नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय सरकारों) को संवैधानिक मान्यता दी। <div data-bbox="821 611 1444 999"><p style="text-align: center;">त्रिस्तरीय सरकार संरचना</p><pre>graph TD; A[केंद्र सरकार] --> B[राज्य सरकार]; B --> C[स्थानीय सरकार]; C --> D[पंचायतें]; C --> E[नगरपालिकाएं];</pre></div> |
| <p>17. सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies):</p> | <ul style="list-style-type: none">• 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।• इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए:<ul style="list-style-type: none">○ अनुच्छेद 19: सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया।○ अनुच्छेद 43-B: सहकारी समितियों के प्रोत्साहन पर एक नया राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किया।○ अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZI: संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा गया जिसे "सहकारी समितियाँ" कहा गया।• नया भाग IX-B संसद को बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में और राज्य विधानसभाओं को अन्य सहकारी समितियों के संबंध में उपयुक्त कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। |

18. स्वतंत्र निकाय (Independent Bodies):

- स्वतंत्र निकायों की परिकल्पना संविधान द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की ढाल (bulkworks) के रूप में की गई है।

- ये हैं:

| | | |
|---|---|---|
| निर्वाचन आयोग: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए: <ul style="list-style-type: none"> ○ संसद, ○ राज्य विधानसभाएँ, ○ भारत के राष्ट्रपति का पद और ○ भारत के उपराष्ट्रपति का पद। | संघ लोक सेवा आयोग: <ul style="list-style-type: none"> ○ अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाएँ आयोजित करना। ○ अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। | भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक <ul style="list-style-type: none"> ○ केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण करना। ○ वह सार्वजनिक धन (public purse) का संरक्षक होता है। |
|---|---|---|

संविधान की आलोचना:

- एक उधार लिया हुआ संविधान: आलोचकों का मत था कि भारतीय संविधान में कुछ भी नया और मौलिक नहीं है।
- 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि: इसमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के बहुत से प्रावधान शामिल किए गए।
- अभारतीय या भारत-विरोधी: यह भारत की राजनीतिक परंपराओं और आत्मा को प्रतिबिंबित नहीं करता।
- अगांधीवादी संविधान: इसमें महात्मा गांधी के दर्शन और आदर्शों को स्थान नहीं दिया गया।
- हाथी के आकार जैसा: यह अत्यधिक विशाल और बहुत विस्तृत है तथा इसमें कुछ अनावश्यक तत्व शामिल हैं।
- वकीलों का स्वर्ग: यह अत्यधिक विधिक (legalistic) और बहुत जटिल है।

हम पूछना चाहेंगे कि विश्व-इतिहास के इस पड़ाव पर बनाये गये संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है... आज इस समय बनाये संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किये जाएँ जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें।

—डॉ. बी. आर. अंबेडकर
 संविधान सभा वाद-विवाद, खंड VII, पृष्ठ 37
 4 नवंबर 1948



संविधान सभा में चर्चा की अध्यक्षता करते हुए डॉ. बी.आर. अंबेडकर